"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/सी. ओ./रायपुर/17/2002."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10]   रायपुर, मंगलवार, दिनांक 14 जनवरी 2003—पौष 24, शक 1924

वित्त एवं योजना विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

अधिसूचना

क्रमांक एफ-10-3/2003/वाक/पांच (3).—छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम, 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995), में संलग्न की अनुसूची-1 की प्रविष्टि-1 की अपेक्षा के अनुसरण में एवम् इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक ए-3-46-2000-विक-पांच (52), दिनांक 17-7-2000 को संशोधित करते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित उपकरण को उक्त प्रविष्टि के प्रयोजन के लिए "कृषि उपकरण" के रूप में अधिसूचित करती है :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में अनुक्रमांक 55. के पश्चात् निम्नलिखित अनुक्रमांक जोड़ा जाए :—

56. पॉवर टिलर 10 अश्व शक्ति से कम.

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावशील होगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 14 जनवरी 2003

क्रमांक एफ-10-3/2003/वाक/पांच (3).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-10-3/2003/वाक/पांच (3), दिनांक 14-1-2003 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

Raipur, the 14th January 2003

NOTIFICATION

No. F-10-3/2003/CT/V (3).—In pursuance of the requirement under entry-1 of Schedule-I appended to the Chhattisgarh Vanijyik Kar Adhiniyam, 1994 (No. 5 of 1995), and by amending this department's Notification No. A-3-46-2000-ST-V (52) dated 17-7-2000, the State Government hereby notifies the following implements as "Agricultural Implements" for the purpose of the said entry :—

AMENDMENT

In the said notification after serial No. 55. the following serial number shall be inserted :—

56. Power Tiller below 10 horse power.

2. This amendment shall come into force from the date of publication in official Gazette.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
K. R. MISRA, Deputy Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2003.